



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230767
CG-DL-E-27102021-230767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]
No. 617]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

सं. 13/2021- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 763(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 452 के सामने, कॉलम (3) में, "सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर माल के संबंध में" शब्दों का निरसन किया जाएगा।

[फा. सं. 354/207/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2021- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

No. 13/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 763(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and subsection (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule II – 6%, S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule III – 9%, against S. No. 452P, in column (3), the words “in respect of Information Technology software” shall be omitted.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 08/2021 – Central Tax (Rate), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 693(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

सं. 13/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 764(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप-धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृतकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक

28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची II - 12% में, क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची III - 18% में, क्रम संख्या 452त के सामने, कॉलम (3) में, "सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर माल के संबंध में" शब्दों का निरसन किया जाएगा।

[फा. सं. 354/207/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

No. 13/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 764(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule II – 12%, S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule III – 18%, against S. No. 452P, in column (3), the words “in respect of Information Technology software” shall be omitted.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 08/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 698(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

सं. 13/2021- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 765(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप-धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 452त के सामने, कॉलम (3) में, "सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर माल के संबंध में" शब्दों का निरसन किया जाएगा।

[फा. सं. 354/207/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित

किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

No. 13/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 765(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule II – 6%, S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule III – 9%, against S. No. 452P, in column (3), the words “in respect of Information Technology software” shall be omitted..

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E)., dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 08/2021 – Union territory Tax (Rate), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 703(E)., dated the 30th September, 2021.